अनुदान संख्या 65 – महासागर विकास विभाग
GRANT No. 65–DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	199,33,00	199,34,00	169,49,77	–29,84,23
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				29,28,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय-सामान्य सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	477.00	376.00	376.39	+0.39
पु.	R.	–101.00			
मुख्य शीर्ष ''3403'' समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3403" Oceanographic Research				
मू.	O.	19456.00	16630.00	16573.38	–56.62
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–2827.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - महासागर विकास विभाग'' के अंतर्गत 100.61 लाख रु. की बचत (477.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ कार्यालय संबंधी स्वचलन निर्माण कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Ocean Development" - saving of Rs.100.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.477.00 lakhs) was due to non-finalisation of certain office automation works and non-filling up of vacant posts.

(II) मुख्य शीर्ष "3403" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "समुद्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण - समुद्री जीवन संसाधन तथा मछलीपालन और समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान पोत"- 358.00 लाख रु. की बचत (1180.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगले वित्तीय वर्ष तक पोत के शुष्क-गोदीयन को आस्थगित किए जाने से पोत सागर सम्पदा के प्रचालन तथा रख-रखाव प्रभार में कमी आने तथा स्कीम के कुछ घटकों द्वारा निधियों का कम विलयन किए जाने के कारण हुई।

(खा) "ध्रुवीय/अंटार्टिक अनुसंधान - राष्ट्रीय अंटार्टिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र"- 621.00 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा योजना परिव्यय को कम किए जाने के कारण हुई।

(गा) "बहुधात्विक ग्रंथिका कार्यक्रम - कर्मीदल रहित अवगाहन-क्षम"- 200.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रारंभ करने के लिए रूसी विज्ञान संस्थान अकादमी की ओर से प्रक्रियात्मक विलंब होने के कारण हुई।

(घा) "अन्य अनुसंधान स्कीमें"-

(क) "महासागर प्रेक्षण और सूचना सेवाएं"- 963.20 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "समुद्री संसाधन कार्यक्रम"- 159.30 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा योजना परिव्यय को कम किए जाने के कारण हुई।

(ग) "विशिष्ट आर्थिक जोन के विस्तृत कतारबद्ध गहराई मापन संबंधी सर्वेक्षण"- 200.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा डीप सी इकोसांउन्डर संबंधी विशिष्टियों के अनुमोदन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने तथा समय पर

(II) Under Major Head "3403" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Oceanographic Survey - Marine Living Resources (MLR) and Fishery and Oceanographic Research Vessel (FORV)" - saving of Rs.358.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1180.60 lakhs) was due to reduction of operation and maintenance charges of Vessel Sagar Sampada on account of deferment of dry - docking of the vessel to the next financial year and less absorption of funds by certain components of the scheme.

(B) "Polar/Antarctic Research - National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR)" - saving of Rs.621.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to reduction of plan outlay at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Polymetallic Nodules Programme - Unmanned Submersibles" - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to the procedural delays on the part of Russian Academy of Sciences Institute for commencement of work.

(D) "Other Research Schemes" -

(a) "Ocean Observation and Information Services (OOIS)" - saving of Rs.963.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs); and

(b) "Marine Resources Programme" - saving of Rs.159.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of plan outlay at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Comprehensive Swath Bathymetric Survey of Exclusive Economic Zone"- saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to delay in approval of specification finalisation of the Deep Sea Ecosounder by Expenditure Finance

उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण भी हुई।

Committee and Ministry of Finance and also non-receipt of utilisation certificate in time.

(घ) "गैस हाइड्रेट"- 857.00 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने, जिससे कार्यक्रम की कार्रवाई को प्रारंभ करने में विलंब होने और साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजना परिव्यय को कम किए जाने के कारण हुई।

(d) "Gas Hydrates"- saving of Rs.857.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to delay in getting requisite approval for new programmes leading to delay in initiating the activities of programme and also reduction of plan outlay at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ङ) "लक्ष्मी नदीघाट का भू-भौतिकीय अध्ययन"- 127.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजना परिव्यय को कम किए जाने के कारण हुई।

(e) "Geophysical Study of Laxmi Basin" - saving of Rs.127.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to reduction of plan outlay at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 215.40 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक थीं।

(III) Under three heads savings of Rs.215.40 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 42 percent to 50 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (823.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3403" - "समुद्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण-महाद्वीपीय कगार" के अंतर्गत दिसंबर 2003 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 822.00 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.823.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2003 under Major Head "3403" -under "Oceanographic Survey - Continental Shelf". Actual excess, however, was Rs.822.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3403" - "समुद्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण - समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान पोत" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 195.94 लाख रु. का अधिक व्यय (1025.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जहाजरानी निगम, जो इस पोत का प्रचालन कर रहा था, के बजट अनुमानों के अनुसार पोत सागर कन्या के प्रचालन और रख-रखाव के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "3403" -"Oceanographic Survey - Oceanographic Research Vessel (ORV)"- excess of Rs.195.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1025.40 lakhs) was due to additional requirement on operation and maintenance expenditure of the vessel Sagar Kanya as per the budget estimates of the Shipping Corporation of India which was running this vessel.